उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गुमला
(विधि शाखा)

म्यूटेशन रिवीजन (Mutation Revision)वाद सं0 :– 40 / 2021–22

अघनु साहु
–बनाम–
जगमोहन साहु

आ दे श

अपीलार्थी अघनु साहु पिता–स्व0 अमीन साहु ग्राम–सोनमेर थाना–बसिया जिला–गुमला के द्वारा भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, बसिया के दाखिल खारिज अपील वाद सं0–36 / 2017–18 में दिनांक–17.08.2021 को पारित आदेश से विक्षुब्ध होकर अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में म्यूटेशन रिवीजन दाखिल किया गया है।

अपीलार्थी के Mutation Revision पर सुनवाई प्रारंभ करते हुए उत्तरवादी को पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

अपीलार्थी का पक्ष

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के लिखित बहस के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया है कि लालो देवी पति–अमीन साहु एवं बालकी देवी पति–आनंदपाल साहु द्वारा ग्राम–सोनमेर के खाता नं0–01 रकबा–6.70 भूमि ग्राम–जरियागढ के लालहरेन्द्र नाथ साहदेव पिता–स्व0 ठाकुर महेन्द्र नाथ साहदेव से दो निबंधित पट्टा सं0–5065 दिनांक–16.02.2002 एवं निबंधित पट्टा सं0–95 दिनांक–03.01.1971 से खाता सं0–01 प्लॉट नं0–1217 रकबा–6.65 एकड़ एवं खाता सं0–02 प्लॉट सं0–470 रकबा–0.17 एकड़ प्लॉट सं0–471 रकबा–0.19 एकड़, खाता नं0–02 प्लॉट सं0–659 रकबा–0.08 एकड़ भूमि क्रय की गई है। लालो देवी एवं बल्की देवी दोनों भूमि का बंटवारा कर अपने अपने हिस्से में शन्ति पूर्वक दखलकार है। लालो देवी ने अघनु साहु व जगमोहन साहु जो दोनों सहोदर भाई है के बीच क्रय की गई भूमि का बटवारा किया । जिसमें अघनु साहु को खाता नं0–01 प्लॉट नं0–1217 रकबा– 2.01 एकड़, खाता सं0–02 प्लॉट नं0–470 रकबा– 0.17 एकड़, खाता नं0–02 प्लॉट सं0–471 रकबा–0.19 एकड़ एवं खाता नं0–1 प्लॉट नं0–659 रकबा–0.08 कुल रकबा–2.45 एकड़ भूमि मिला। उक्त बंटवारानामा के आधार पर अघनु साहु के नाम से दाखिल खारिज स्वीकृत हुआ। जिसका वाद सं0–1 आर 27 / 2012–13 है। अपीलार्थी के द्वारा बताया गया कि उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार का कभी भी आपत्ति उत्तरवादी द्वारा नही किया । लालो देवी के जीवन काल में पैतृक भूमि और मकान लालो देवी को दे दिया गया, और वह भौतिक कब्जे में थी, और उसने फिर से अपने दोनों बेटो अघनु साहु और जगमोहन साहु के बीच जमीन की सम्पति का बंटवारा किया और वे उसी के अनुसार अलग है।

उत्तरवादी का पक्षः–

उत्तरवादी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा प्रतिवेदित किया है कि मौजा–सोनमेर के खाता नं0–01 प्लॉट नं0–1217 रकबा 3.01 एकड़ के प्लॉट नं0–659 रकबा 0.08 एकड़, खाता नं0–02 प्लॉट नं0–470 रकबा 0.17 एकड़ वो प्लॉट संख्या –471 रकबा 0.19 एकड़ जमीन जो अपीलार्थी अघनु साहु वो उत्तरवादी जगमोहन साहु की माता लालो देवी तथा बालकी देवी पति आनंद पाल साहु की खरीदगी जमीन है जो बराबर– बराबर हिस्से में बंटवारा करके अपने अपने हिस्से में शांतिपूर्वक दखलकार रहे। लालो देवी के मृत्यु के बाद उनके दो पुत्र अपीलार्थी अघनु साहु तथा उत्तरवादी जगमोहन साहु के बीच जमीन बंटवारा को लेकर विवाद हुआ। अपीलार्थी अघनु साहु के द्वारा फर्जी बंटवारा कागजात तैयार करके अंचल कार्यालय, बसिया से अपने मनपंसद जमीन का दाखिल खारिज वाद संख्या 01 आर 27/2012–13 के द्वारा दाखिल–खारिज करा लिया गया है। भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता बसिया के द्वारा दोनों पक्षों के असंतुष्टता के कारण की जानकारी होने पर विवादित जमीन का नामान्तरण दोनों भाईयों के दखल हिस्से की भूमि के आधार पर नामान्तरण करने का आदेश दिया गया है। अपीलार्थी का स्वार्थ पूरा नहीं होने के कारण यह अपील वाद लाया गया है जो खारिज करने योग्य है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तओं का तर्क एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अपीलार्थी अघनु साहु पंचायती बंटवारा दिनांक–21.01.2012 को आधार मान कर दाखिल खारिज वाद सं0–1 आर 27/12–13 से प्रश्नगत जमीन का दाखिल खारिज अपने नाम दिनांक–21.04.2012 को करा लिये थे, परन्तु तथाकथित पंचायती बंटवारा दिनांक–21.01.2012 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि उक्त पंचायती बंटवारा में एक भाई उत्तरवादी जगमोहन साहु का हस्ताक्षर नही है। ऐसी परिस्थिति में पंचायती बंटवारा दिनांक–21.01.2012 को बैध कागजात की श्रेणी में नही आता है, उपरोक्त तथ्यों को निम्न अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश के संज्ञान में नही लिया गया है, तथा कोई स्पष्ट आदेश भी पारित नही किया गया है। चूँकि यह मामला पारिवारिक बंटवारा से संबंधित है। जिसका निराकरण सक्षम न्यायालय से ही संभव है। अतः निम्न अपीलीय न्यायालय वो मूल न्यायालय अंचल अधिकारी बसिया द्वारा पारित आदेश को निरस्त किया जाता है, चूँकि यह मामला बंटवारा से संबंधित है। उभय पक्ष अपने दावे के लिए सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर सकते है। अतः वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

आदेश की प्रति निम्न न्यायालय के मूल अभिलेख के साथ संबंधित अंचल अधिकारी को भी दे।

Digitally signed by SUSHANT GAURAV
Date: 2022.10.13 16:32:14 +05:30
Location: 192.168.5.104

05.08.22
उपायुक्त,
गुमला

05.08.22
उपायुक्त,
गुमला